upload No. (43)

113/NIC
22/3/17

(15)
22/3/17

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड

जिला आपदा प्रवंधन कोषांग, दुमका

आदेश संख्या:–.....23...../2017

सरकार के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार रॉची के पत्र संख्या 04/आ0 प्र0 (रा0 आ0 मो0 नि0)–35/2014–75 (आ0)/आ0 प्र0 रॉची दिनांक 20/03/2017 द्वारा गैर योजना मूख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन हेतु स्वीकृति आदेश देते हुए पत्र संख्या 285 (स्वी0), दिनांक 20/03/2017 द्वारा वर्णित वचत शीर्ष के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपायुक्त दुमका को कुल 7,01,500.00 (सात लाख एक हजार पाँच सौ) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है एवं राशि की निकासी हेतू स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित बजटशीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

वचत शीर्ष	आवंटित राशि
मूख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मूख्यशीर्ष–02 बाढ़, चक्रवात के कारण राहत लघु शीर्ष –113– घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उप शीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड –39N224502113020543.	7,01,500.00 (सात लाख एक हजार पाँच सौ) रूपये मात्र
कुल सात लाख एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र	7,01,500.00

(3) कुल प्राप्त आवंटन 7,01,500.00 (सात लाख एक हजार पाँच सौ) रूपये मात्र को पूर्व स्वीकृत अभिलेख के आधार पर निम्नलिखित अंचल अधिकारी को उपावंटित किया जाता है।

क्र0 सं0	अंचल का नाम	आवंटित राशि
1	मसलिया	7,01,500.00
कुल सात लाख एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र		7,01,500.00

(4) उपायुक्त, दुमका के पत्रांकः–49/जि0 आ0 प्र0 को0, दिनांकः–27/02/2017 के आलोक में उपरोक्त राशि आवंटित की जा रही है। विभागीय संकल्प संख्या–604 दिनांक 18/05/2015 के आलोक में अंचल अधिकारी मसलिया अभिलेख की पूर्णतः जाँच कर सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक को S.D.R.F मद एवं मापदण्ड के अनुसार की राशि का वास्तविक भुगतान हो। आँकड़ो की सत्यता के लिए अंचल अधिकारी मसलिया पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

(5) यह आवंटन विभागिय संकल्प संख्या–604 दिनांक 18/05/2015, 1055, दिनांकः–16/10/2015 को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राशि उपावंटित की जा रही है। सम्बन्धित अंचल अधिकारी, राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) दिशनिर्देश तथा मद एवं मापदण्ड के आलोक में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।

(6) अंचल अधिकारी मसलिया इस राशि के निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी होंगे जिनके द्वारा जिला कोषागार, दुमका से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

(7) सभी भुगतान e-KYC/आधार लिंक खाते में ही किया जाय।

(8).(i). अंचाल अधिकारी, मसलिया क्षतिग्रस्त मकानों की तस्वीर को अभिलेख के साथ संधारित रखेंगे। साथ ही भुगतान के पूर्व क्षतिग्रस्त मकानों के मूल्यांकन एवं क्षति की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे। क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत/निर्माण के बाद का ब्योरा तिथि सहित, फोटोयुक्त संधारित करें।

(ii). स्थल जाँच करनेवाले कर्मी/पदाधिकारी का नाम/पदनाम अभिलेख में स्थल जाँच तिथि के साथ संधारित रहे।

(iii). 5,000/–(पाँच हजार) तक का भुगतान का सत्यापन पर्यवेक्षक स्तर से तथा उससे अधिक 20,000/– (बीस हजार) रूपये तक का अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(9) पक्का मकान के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भुगतान के पूर्व कम से कम उपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से क्षति की जाँच करा ली जायेगी।

(10). किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं हेाने की स्थिति में राशि प्रत्यार्पण की सूचना 20 मार्च 2017 के पूर्व आँन –लाईन करने का दायित्व अंचल अधिकारी–तथा–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(11).(i).व्यय के पश्चात विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में अंचल अधिकारी मसलिया द्वारा उपयेागिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(ii). आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(iii). महालेखाकर से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हेागा।

(iv). अंचल अधिकारी मसलिया निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(12). निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि यदि ऐसी कोइे योजना का कार्य के विरूद्ध राशि व्याय की जा रही है, जिसे किसी दुसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्व सूचना सम्वन्धित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

(13). (क) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृड़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।

(ख) वित्त विभागीय परिपत्र 2561, दिनांक 17/04/1998 पत्रांक–2522/वि0, दिनांक 24/10/2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–759 दिनांक 20/03/2015 का पालन अक्षरशः पालन किया जाय।

(ग) कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली, विभिन्न वित्त विभाग व्दारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।

(घ) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।

(ङ) अभिलेखों का अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

(14). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी अभिलेखो को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखेंगे, अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता से निष्पादन कराते हुए उसे drop करायेंगे। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति (पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन) हो तो उसका निराकरण कर लिया गया है। कोई लम्बित डी0 सी0 विपत्र हो तो तुरंत प्रेषित करेंगे।

(15). राशि निकासी के नुरंत बाद व्यय प्रतिवेदन टी0 भी0 सं0 के साथ विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(15). प्रसंगाधीन स्वीकृयादेश की सभी शर्तो का अक्षरशः पालन किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/03/2017
प्रतिलिपीः– अंचल अधिकारी, मसलिया/कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाइे हतू प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/03/2017
प्रतिलिपीः–आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/03/2017
प्रतिलिपीः– सरकार के सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॉची, झारखण्ड/ सरकार के प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॉची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/03/2017
प्रतिलिपीः– महालेखाकर रॉची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–......73......../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–...22.../03/2017
प्रतिलिपीः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

21/3/17
उपायुक्त,
दुमका